40

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

चालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944* (शक)

चालीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

12.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

12.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944 (*शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना		
प्राक्कथन		
अध्याय एक	प्रतिवेदन	
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है	
	अनुबंध	
	समिति की 9.12.2022को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	
	परिशिष्ट	
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
(2022-23) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतर सिंह दरबार
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोड़ा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के.षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा

24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्री रामजी
30. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
31. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी .पांडा -अपर सचिव
2. श्री वेद प्रकाश नौरियाल - संयुक्त सचिव
3. श्रीमती ममता केमवाल -निदेशक
4. श्री कृषेन्द्र कुमार -उप सचिव
5. श्री हाओकीप ककाई - कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

.2तैंतीसवें प्रतिवदेन 24 .3.2022.को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने ..26.72022 को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले अपने उत्तर प्रस्तुत किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 9.12.2022को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3 .सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति)सत्रहवीं लोक सभा (के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट पर दिया गया है।

.4 संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **रमा देवी,**

09 दिसंबर, 2022 **सभापति,**

18अग्रहायण, 1944) शक(**सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति**

अध्याय -एक

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) से संबंधित समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. तैंतीसवें प्रतिवेदन को 24 मार्च 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें 15 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:-

(i) सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है:- **(कुल: 06, अध्याय: II)**

सिफारिश पैरा संख्या 2.7, 2.8, 3.16, 3.17, 7.13 और **8.7**

(ii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती: - **(कुल: 02,अध्याय : III)**

सिफारिश पैरा संख्या 3.15 और **7.14**

(iii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: - **(कुल:04, अध्याय : IV)**

सिफारिश पैरा संख्या 5.12, 5.13, 6.17 और **6.18**

(iv) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं: - **(कुल: 03,अध्याय: V)**

सिफारिश पैरा संख्या 4.15, 4.16 और **7.15**

3. **समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में अंतिम की-गई-कार्रवाई उत्तर यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं और किसी भी स्थिति में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएं ।**

4. अब समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करेगी, जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है ।
(**सिफारिश पैरा संख्या** 5.12 **और** 5.13)

5. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा समूह 'क', 'ख' और 'ग' सेवाओं में भर्ती, आदि के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करने हेतु अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को सहायता देने के उद्देश्य से जुलाई, 2007 में 'नया सवेरा' योजना शुरू की गई थी। तथापि, समिति पाती है कि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान वास्तविक व्यय बहुत कम हुआ क्योंकि वे 75.00 करोड़ रुपए, 50.00 करोड़ रुपए और 79.00 करोड़ रुपए के बजट आवंटन में से तीन वर्षों के दौरान क्रमशः केवल 13.97 करोड़ रुपए, 18.44 करोड़ रुपए और 18.22 करोड़ रुपए व्यय कर सके। समिति मानती है कि योजना के क्रियान्वयन के प्रति विभाग के दृष्टिकोण में गंभीरता प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि बजट आवंटन/लक्ष्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। प्रस्तावों/उपयोग प्रमाण पत्रों के प्रस्तुति में विलंब जैसे योजना के धीमी प्रतिक्रिया के लिए मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात प्रक्रियात्मक चूक मंत्रालय का खराब चित्र प्रस्तुत करता है। समिति यह भी मानती है कि शायद योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत है। चूंकि योजना में संशोधन के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन पोर्टल का विकास, परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना जैसे कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए समिति आशा करती है कि प्रचार संबंधी मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाए ताकि योजना के कार्य निष्पादन में सुधार हो। समिति संशोधित योजना में प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणाम जानना चाहेगी"।

(सिफारिश पैरा संख्या 5.13)

6. समिति पाती है कि प्रतियोगी वातावरण में वजीफा की राशि और कोचिंग की अवधि छात्रों, विशेषकर बड़े शहरों में छात्रों की आज की जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त है। समिति आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए 3 से 9 माह की अवधि वाले कोचिंग के प्रावधान के उद्देश्य को समझ पाने में असमर्थ है। इसी तरह, नियत वजीफा की राशि और नियत कोचिंग शुल्क नामी कोचिंग संस्थानों के उच्च कोचिंग दरों के समतुल्य नहीं है। समिति यह नोट कर खुश है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने योजना के मूल्यांकन अध्ययन में वर्तमान शुल्क संरचना और अवधि को संशोधित करने की सिफारिश की है और इसलिए, इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा रहा है तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के अगली सूची से प्रभावी होगा। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के अगली सूची को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों को देखते हुए समिति आशा करती है कि परियोजना कार्यान्वयन में एजेंसियों के सामूहिक चयन में उचित इमानदारी बरती जाएगी और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए निर्धारित मानकों का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा। समिति सिफारिश करती है कि आय संबंधी मानक सहित शुल्क संरचना तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम अवधि के संशोधन के लिए उपयुक्त प्रणाली अपनाई जा सकती है ताकि अधिकतम संख्या में छात्रों को शामिल किया जा सके। छात्रों के लिए प्रस्तावित ऑनलाइन मॉड्यूल जैसे विभिन्न पहलें और कार्यान्वयनकर्ता द्वारा निगरानी प्रणाली का विकास, सरकारी और निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की भागीदारी, सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों को एकमुश्त अनुदान, छात्रों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा, आदि जैसे मूल्यांकन अध्ययन में निहित सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जा सकती है कि इसके योजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव होंगे। समिति चाहती है कि सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के अगली सूची के साथ अनुपालन किया जाए। समिति चाहती है कि मंत्रालय के की गई कार्रवाई टिप्पणी में पिछले तीन वर्षों के लिए योजना के तहत जारी निधि और लाभार्थियों का राज्यवार डाटा के साथ छात्रों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल के विकास करने सहित योजना के कार्यान्वयन की स्थिति से उसे अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर (पैरा संख्या 5.12 और 5.13)

7. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंत्रालय में प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए वित्त और खरीद, आईटी और एमआईएस, एम एंड ई विशेषज्ञ, सिस्टम विश्लेषक में विशेषज्ञता रखने वाले छह सलाहकारों का एक पीएमयू भी स्थापित किया गया है। आईआईपीए की अनुशंसा के अनुसार योजना के संशोधन का प्रस्ताव स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, ईएफसी ने प्रधानमंत्री शैक्षिक अधिकारिता योजना (पीएमईईएस) जिसमें पांच घटक है, नामत: मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति,मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) और पढो परदेश के मूल्यांकन के दौरान सिफारिश की है कि शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अन्य शैक्षिक योजनाओं जैसे नि:शुल्क कोचिंग और नई उड़ान को भी एक योजना बनाने के लिए मिला दिया जाए।

तद्नुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उनकी समान योजना में किए गए परिवर्तनों और आईआईपीए की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए योजना को और संशोधित किया जा रहा है। आईआईपीए की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, कोचिंग फीस और कोचिंग कार्यक्रमों की अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

हालांकि, योजना को अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

पिछले तीन वर्षों के लिए आवंटित लाभार्थियों/छात्रों की राज्यवार संख्या और पीआईए को जारी की गई धनराशि का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

वर्ष 2019-20से 2021-22तक नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां				
क्र.	राज्य/संघ	2019-20	2020-21	2021-22

सं.	राज्य क्षेत्र	छात्रों की संख्या (आवंटित)	जारी निधि (रुपये में)	छात्रों की संख्या (आवंटित)	जारी निधि (रुपये में)	छात्रों की संख्या (आवंटित)	जारी निधि (रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	500	21086216	400	8125000	400	35749309
2	असम	100	1625000	0	0	0	1000000
3	बिहार	100	0	0	0	0	
4	चंडीगढ़	190	2700000	50	0	50	1625000
5	छत्तीसगढ	100	0	100	3225000	100	6500000
6	दिल्ली	50	1625000	0	0	0	
7	गोवा	0	0	0	0	0	
8	गुजरात	600	1625000	200	0	200	6500000
9	हरियाणा	300	5000000	300	5000000	300	16625000
10	जम्मू और कश्मीर	50	0	50	0	50	4875000
11	झारखंड	0	4246000	0	0	0	
12	कर्नाटक	1050	18659920	400	34770000	400	26003702
13	केरल	640	5860000	0	4000000	0	
14	मध्य प्रदेश	780	4552763	300	16997000	500	22098984
15	महाराष्ट्र	940	16625000	50	10000000	500	23250000
16	मणिपुर	140	4585000	50	6015000	100	8527250
17	मेघालय	100	0	100	0	0	5687500

18	पंजाब	300	0	200	0	200	6500000
19	राजस्थान	350	6486165	300	4250000	150	5250000
20	सिक्किम	0	0	0	0	0	
21	तमिलनाडु	200	0	0	0	0	
22	उत्तर प्रदेश	2500	44064327	2300	59517966	1640	116933255
23	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	
24	पश्चिम बंगाल	590	1000000	500	32500000	550	84375000
	कुल	**9580**	**139740391**	**5300**	**184399966**	**5140**	**371500000**

8. समिति ने 'नया सवेरा' योजना के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की थी क्योंकि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान योजना पर वास्तविक व्यय तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 75.00 करोड़ रुपये, 50.00 करोड़ रुपये और 79 करोड़ रुपये के आवंटन में से केवल 13.19 करोड़ रुपये, 18.44 करोड़ रुपये और 18.22 करोड़ रुपये था। तदनुसार, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय को इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि योजना के लिए धीमी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव/उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। समिति को आशा थी कि मंत्रालय इस योजना में सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल के विकास और परियोजना निगरानी इकाइयों की स्थापना की प्रगति की स्थिति से समिति को अवगत करवाएगा। तथापि, मंत्रालय समिति के सुझावों पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया है सिवाय इसके कि परियोजना निगरानी इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि सभी शैक्षणिक योजनाओं को "प्रधानमंत्री शैक्षणिक सशक्तिकरण योजना" में विलय करने के लिए ईएफसी के निर्देशों के अनुसार योजना को संशोधित किया जा रहा है और वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस

बहाने के कारण, मंत्रालय ने समिति की विशिष्ट सिफारिश पर उत्तर नहीं दिया है। बहरहाल, समिति को इस बात से प्रसन्नता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी इसी तरह की योजना में किए गए परिवर्तनों और आईआईपीए की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है। साथ ही, इस योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना अभी बाकी है। समिति को डर है कि इस योजना के अनुमोदन में विलंब से इसके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया में समय लगता है। इसलिए, मंत्रालय को विलंब के परिणामों को उजागर करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समय पर अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारी के साथ अनुकरण करना चाहिए। अधिकतम छात्रों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए स्वचालित संशोधन और आय मानदंड सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्वरुप और पाठ्यक्रम अवधि के लिए उपयुक्त पद्धति अपनाने के उनके सुझाव के संबंध में समिति को अवगत नहीं कराया गया है। संशोधन और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया के कारण होने वाले विलंब को कम करने के लिए संशोधित योजना में इसे अंतर्निहित किया जा सकता है। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे और इससे उन्हें अवगत कराए। समिति की गई कार्रवाई के चरण में एक मुख्य योजना में विलय की गई 5 योजनाओं के अनुमोदन की स्थिति जानना चाहेगी।

(सिफारिश पैरा संख्या 6.17)

9. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति पाती है कि मदरसों/अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा प्रदान करने की योजना (एस पी ई एम एम) जिसमें दो योजनाएं नामतः मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आई डी एम आई) शामिल है जिसे 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय से लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को दे दिया गया है। समिति यह नोट कर शुब्ध है कि शायद मंत्रालय को अभी जमीनी स्तर पर काम शुरू करना है क्योंकि

इसकी अब तक बोर्ड की केवल दो बैठक के हुई है और इसलिए शिक्षा मंत्रालय से योजना को हस्तांतरित किए जाने के बाद से अभी तक मदरसों/अल्पसंख्यक के शिक्षा के लिए योजना के तहत कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ है। समिति पाती है कि योजना का हस्तांतरण किए जाने से पहले मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत 6 राज्यों से प्रस्ताव और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के अंतर्गत 12 राज्यों से प्रस्ताव अनुमोदित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत 8 राज्यों से प्रस्ताव और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के अंतर्गत 5 राज्यों से प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं। समिति को बताया गया कि एसपीक्यूईएम के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक 30 नवंबर, 2021 को हुई और आई डी एम आई के अंतर्गत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रस्ताव बोर्ड की बैठक फरवरी, 2022 में हुई। समिति मानती है कि अनुमोदन प्रक्रिया की गति थोड़ी धीमी है और योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें गति लाए जाने की जरूरत है। समिति इस योजना में बड़ी संख्या में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी भी नहीं पाती है। इसलिए समिति चाहती है कि तीव्रता से कार्य किया जाए ताकि योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी हो। अब समिति को बताया गया है कि 2021 में योजना को शिक्षा मंत्रालय से हस्तांतरित कर दिया गया है, इसलिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन संबंधी तंत्र पर ईएफसी नोट तैयार की जाएगी। समिति चाहती है कि मंत्रालय शीघ्रता से प्रक्रिया पूरी करें ताकि विचाराधीन प्रस्तावों के अनुमोदन में असाधारण विलंब न हो। समिति यह भी मानती है कि समग्र शिक्षा के विभिन्न घटक मंत्रालय को उसकी इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि किसी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए योजना की जागरूकता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। समिति आशा करती है कि मूल्यांकन अध्ययनों का उचित संज्ञान लिया जाएगा ताकि संशोधित योजना में कोई खामी न हो। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई और इसके परिणाम से अवगत होना चाहेगी"।

सरकार का उत्तर

10. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"मदरसों/अल्पसंख्यकों में शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) को दिनांक 01.04.2021 से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है। योजना को दिनांक 31.03.2021 तक लागू करने की मंजूरी दी गई थी। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2021 के का.ज्ञा. के तहत मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2021-22 (31.03.2022 तक) के लिए मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) को जारी रखने की अनुमति दी थी। व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.12.2021 के द्वारा आईडीएमआई योजना को जारी रखने के लिए अनुमोदन सूचित किया गया था। अत: इस योजना को इस मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एसपीईएमएम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया गया है।

मदरसों/अल्पसंख्यकों में शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) में दो उप-योजनाएं शामिल हैं - (i) मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों का बुनियादी ढांचा विकास (आईडीएमआई)। उप योजना एसपीक्यूईएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के फंड शेयरिंग पैटर्न पर कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों/पहाड़ी संघ राज्य क्षेत्रों में फंड शेयरिंग पैटर्न 90:10 है। विधायिका के बिना संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, शेयरिंग पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सेदारी है। यह योजना स्वैच्छिक प्रकृति की है। आईडीएमआई के तहत फंडिंग पैटर्न 75% केंद्रीय हिस्सा और 25% संबंधित संस्थान का है। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य एसपीक्यूईएम के तहत और आईडीएमआई के तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे के लिए अपेक्षित सहायता के लिए एक वार्षिक समेकित प्रस्ताव तैयार करते हैं, जिसकी जांच सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में की जाती है। एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समेकित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पीएबी की बैठक वार्षिक तौर पर आयोजित की जाती है। तदनुसार, एसपीक्यूईएम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावों पर विचार के लिए पीएबी की बैठक दिनांक 30.11.2021 को आयोजित की गई थी। आईडीएमआई के तहत प्रस्तावों पर विचार के लिए पीएबी की बैठक दिनांक 15.03.2022 को आयोजित की गई थी। वर्ष 2021-22 के लिए पीएबी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मदरसों की संख्या	शिक्षकों की संख्या	आईडीएमआई के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों की संख्या

1	बिहार	164	235	
2	छत्तीसगढ़	252	714	
3	जम्मू और कश्मीर	39	115	
4	झारखंड	68	131	
5	मध्य प्रदेश	1209	2826	
6	राजस्थान	1642	3079	
7	त्रिपुरा	126	304	1
8	उत्तर प्रदेश	5818	16193	25
9	उत्तराखंड	183	494	
10	महाराष्ट्र			1
11	मणिपुर			20
12	मिजोरम			13
	कुल	**9501**	**24091**	**60**

योजना के तहत राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 31.03.2022 से आगे योजना को जारी रखने के लिए ईएफसी ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है"।

11. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो योजनाओं (i) मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) और (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों की अवसंरचना के विकास के लिए योजना (आईडीएमआई) को 2021 में शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था, समिति ने मंत्रालय से योजनाओं को लागू करने के तंत्र पर ईएफसी नोट की प्रक्रिया पूरी करने की इच्छा व्यक्त की थी। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि हालांकि एसपीईएमएम और आईडीएमआई योजनाओं को 31 मार्च, 2022 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था परन्तु नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार योजना को 31.03.2022 से आगे जारी रखने के लिए प्रारूप ईएफसी ज्ञापन को अंतिम रूप देना अभी भी

बाकी है। समिति का मानना है कि किसी भी योजना को जारी रखने का निर्णय न केवल लाभार्थियों के लिए बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे मामलों में देरी से योजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका मानना है कि मंत्रालय को इस मामले में शीघ्रता दिखानी चाहिए थी, जैसा कि अभिलेखों से स्पष्ट है कि आईडीएमआई के तहत केवल 9 राज्यों के प्रस्तावों और एसपीईएमएम के तहत 5 राज्यों के प्रस्तावों को वर्ष 2021-22 के लिए मंजूरी दी गई थी। समिति का यह भी मानना है सीमित संख्या में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी के कारण योजनाओं की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। वे चाहते हैं कि मंत्रालय को ईएफसी ज्ञापन के शीघ्र अनुमोदन के लिए सभी प्रयास करने चाहिए और तत्पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

(सिफारिश पैरा संख्या 6.18)

12. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति पाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के क्रियान्वयन के भाग के रूप में क्षमता निर्माण तथा मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों और प्रिंसिपल के प्रशिक्षण के लिए दीक्षा पोर्टल पर एक वेब पेज बनाई गई है। तथापि समिति नोट करती है कि यूडीआईएसई पर मदरसों और शिक्षकों के बारे में संपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि मदरसा विद्यालयों के संबंध में आंकड़े यूडीआईएसई पर 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्ज नहीं की गई है और 10 राज्यों ने केवल 1 से 20 मदरसों के बारे में सूचनाएं दी है। समिति को साक्ष्य के दौरान यह भी बताया गया कि ऐसी भी संभावना है कि सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के आंकड़े संग्रहित नहीं किए गए हैं और कई मदरसे हैं जिन्हें यूडीआईएसई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया गया है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों तथा उनकी अवसंरचना, शिक्षकों और छात्रों के बारे में सूचनाएं तीन महीने में संग्रहित करने का निर्देश जारी करें ताकि सभी मदरसों को योजना के तहत उपलब्ध सुविधाएं मिल सके। समिति का मत है कि जब तक मंत्रालय मदरसों के बारे में संपूर्ण सूचना तैयार नहीं करेगी तब तक उसे मदरसों में नई शिक्षा नीति का

क्रियान्वयन करने में कठिनाई होगी और इसके परिणाम स्वरूप योजना की वित्त संबंधी आवश्यकता का उचित मूल्यांकन प्रभावित होगा एवं योजना के लाभ से छात्र/शिक्षक वंचित होंगे"।

सरकार का उत्तर

13. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"यूडीआईएसई + (2019-20) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यूडीआईएसई+ पर 26,928 मदरसे पंजीकृत हैं और इन मदरसा स्कूलों में लगभग 1.17 लाख शिक्षकों के साथ छात्रों का नामांकन 43.52 लाख से अधिक है। देश भर के मदरसा स्कूलों का अधिक व्यापक डेटा रखने के लिए, मंत्रालय ने मदरसा स्कूलों के लिए एक एमआईएस पोर्टल विकसित करने के लिए एक एजेंसी को नियोजित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाएगा कि वे उक्त पोर्टल पर मदरसा स्कूलों के बारे में जानकारी अपलोड करें और पोर्टल मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसा स्कूलों की जानकारी एकत्रित करेगा। यह परिकल्पना की गई है कि एक बार इस पोर्टल द्वारा कार्य करना शुरू करने पर,पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़े सूचित नीति निर्माण के साथ-साथ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करेंगे"।

14. चूंकि केवल 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यूडीआईएसई पर ब्यौरा दर्ज किया है इसलिए उपलब्ध अवसंरचना, शिक्षकों और छात्रों सहित मदरसों के संबंध में विस्तृत जानकारी के अभाव में, मदरसों में नई शिक्षा नीति लागू करना कठिन होगा। तदनुसार, समिति ने मंत्रालय को तीन महीने के भीतर सूचना एकत्र करने की सिफारिश की थी ताकि मदरसे योजना के तहत सुविधाओं का लाभ उठा सकें। समिति को अब सूचित किया गया है कि मंत्रालय ने मदरसा स्कूलों के लिए एक एमआईएस पोर्टल विकसित करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है और यह परिकल्पना की गई है कि एक बार पोर्टल के कार्यात्मक हो जाने के बाद, पोर्टल नीति निर्माण सहित योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करेगा। समिति को ऐसी कोई संभावित तारीख नहीं दी गई है जिस तक मंत्रालय उक्त एमआईएस पोर्टल को आरंभ करेगा। इसलिए, समिति चाहती है कि

एमआईएस पोर्टल को समयबद्ध तरीके से तत्काल विकसित किया जाए ताकि योजना का नेक उद्देश्य पूरा हो सके।

अध्याय-दो

सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

(सिफारिश पैरा संख्या 2.7)

समिति पाती है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान मंत्रालय 4700 करोड़ रुपए और 5029 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन में से वर्ष 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः केवल 4505.10 करोड़ रुपए और 3998.57 करोड़ रुपए खर्च कर सकी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4810.77 करोड़ रुपए के आवंटन में से 16 फरवरी, 2022 तक वास्तविक व्यय न्यूनतम 2342.23 करोड़ रुपए हुआ। मंत्रालय ने समिति को बजट का निम्न उपयोग होने का कारण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 स्थिति की वजह से 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में अनिवार्य कटौती लगाए जाने और दूसरा, तीन छात्रवृत्ति योजनाओं जिसमें कुल संशोधित अनुमान राशि का 50% शामिल है, वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में मुख्यतः खर्च कर दिए जाने को बताया। समिति को यह विश्वसनीय नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त, समिति यह देख कर नाखुश है कि मंत्रालय अपने द्वारा प्रशासित योजनाओं यथा परंपरागत कला/शिल्पकारी के विकास में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन योजना (उस्ताद), अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना, हमारी धरोहर, मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजनाएं अनुसंधान/अध्ययन, अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन तथा प्रचार, अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं आदि में 2021-22 के बजटीय आवंटन का 50% भी खर्च नहीं कर पाई। इस पृष्ठभूमि में समिति पाती है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट का पूर्ण उपयोग शायद ही हुआ क्योंकि मंत्रालय संशोधित अनुमान चरण में अनुमोदित धनराशि का व्यय करने में सक्षम नहीं थी। यदि वित्त मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बजट आवंटित कर दी होती और संशोधित अनुमान चरण में कटौती नहीं लगाई होती तो धनराशि निष्क्रिय पड़ी रहती। जहां तक छात्रवृत्ति राशि का संबंध है, अपने पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में समिति ने 'नई' श्रेणी के अंतर्गत मंत्रालय को हो रही कतिपय समस्याओं का उल्लेख किया था जिसके लिए पहली तिमाही में ही कम से कम राशि दी जा सकती थी। 'नवीकरण' श्रेणी के लिए समय पर आवेदन करने का सुझाव भी दिया गया। इससे अंतिम तिमाही में कम भीड़-भाड़ होगी। अब चूंकि कोविड-19 की स्थिति में कुछ राहत हुई है, समिति चाहती है कि 2021-22 के लिए बजट आवंटन का पूर्ण उपयोग के लिए मंत्रालय प्रयास करते रहे ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के अधिक से अधिक लोग अपने लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत निरंतर निगरानी और सम्मिलित प्रयासों से वर्ष 2021-22 के दौरान 4346.45 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 4325.30 करोड़ रुपये (अर्थात 99.51%) की राशि खर्च की गई है।

पिछले दो वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित 6 योजनाओं पर किया गया व्यय निम्नानुसार था:

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2020-21			2021-22		
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय
1	कौशल विकास (एसएके)	250.00	190	190.03	276	250	268
2	उस्ताद	60.00	60	56.74	47	76.68	76.68
3	नई मंजिल	120.00	60	59.84	87	87	48.86
4	नया सवेरा	50	25	18.44	79	39.35	37.15
5	नई उड़ान	10	8	4.15	8	6	7.97
कुल		490	343	329.2	497	429.35	438.66
6.	अनुसंधान/अध्ययन,निगरानी और योजना का मूल्यांकन	9	9	4.8	9	3.88	3.88

यह ध्यान दिया जाए कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष के लिए आरई को इस मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के लिए वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग द्वारा कोविड़ के कारण कम कर दिया गया था, जिस पर मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है। मंत्रालय ने उपर्युक्त 5 योजनाओं, अर्थात सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल, नयासवेरा और नई उड़ान के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 में प्राप्त कुल आरई का 95% और वित्त वर्ष 2021-22 में 105% का उपयोग किया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड़ -19 महामारी के कारण विज्ञापन अभियानों में अभूतपूर्व गिरावट आई थी। इसके अलावा, इस मंत्रालय के कुछ विज्ञापन अभियानों के संबंध में पीएमओ के विज्ञापन अनुमोदन प्रकोष्ठ का अनुमोदन कम था। वित्त वर्ष

2021-22 के दौरान, बजट का कम उपयोग कम विज्ञापनों के जारी होने और कोविड़ महामारी के कारण भी था।

तथापि, समिति द्वारा की गई टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक 24 जून, 2022)

(सिफारिश पैरा संख्या 2.8)

अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों पर समिति को दी गई सूचना से समिति नोट करती है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को बजट आवंटन में काफी कमी की गई है क्योंकि 8151.92 करोड़ रुपए के प्रस्तावित राशि के मुकाबले 5020.50 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। चूंकि यह आवंटित धनराशि अपर्याप्त प्रतीत होता है इसलिए समिति को बताया गया है कि बजटीय आवंटन में कमी की स्थिति में मंत्रालय संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगी। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान मंत्रालय ने पर्याप्त और अव्यवहार्य प्रस्ताव कम मिलने या नहीं मिलने के कारण अपने विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में से 1030.43 करोड़ रुपए अभ्यर्पित की। इस परिदृश्य में समिति महसूस करती है कि इस प्रकार की स्थिति 2022-23 में नहीं होनी चाहिए अन्यथा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के बजाय मंत्रालय को संशोधित अनुमान चरण में बजट कम करना पड़ेगा। समिति दोहराती है कि मंत्रालय को पूर्ण जवाबदेही के साथ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि बजटीय आवंटन का पूरी तरह से व्यय हो सके और मंत्रालय का परिकल्पित उद्देश्य पूरा हो सके। समिति चाहती है कि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करें ताकि 2022-23 के बजट आवंटन का पूरी तरह से उपयोग हो सके।

सरकार का उत्तर

पिछले वर्ष 2021-22 में 4810.77 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 2022-23 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 5020.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 2022-23 के दौरान इस मंत्रालय के बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिल सकती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, इस मंत्रालय को वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में कटौती के कारण 1024.00 करोड़ रुपये (5029.00 करोड़ रुपये का बजट अनुमान - 4005.00 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान) की निधि को अनिवार्य रूप से वापस

करना पड़ा। रिकॉर्ड के अनुसार, 4005.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले 3998.56 करोड़ रुपये (अर्थात99.84%)की राशि खर्च की गई थी। यदि कटौती लागू नहीं की गई होती तो वित्त वर्ष 2020-21 में मंत्रालय और अधिक खर्च कर सकता था।

यह मंत्रालय 2022-23 के दौरान आवंटित बजट का उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अधिक निधियों की आवश्यकता होने पर, यह मंत्रालय अतिरिक्त निधियों के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करेगा।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक 24 जून, 2022)

(सिफारिश पैरा संख्या 3.16)

समिति नोट करती है कि पीएमजेवीके के अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के बीच धनराशि के बटवारा के आधार पर सभी राज्यों के लिए 60:40 की औसत से पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड)/संघ राज्य क्षेत्र में विधान के साथ 90:10 की औसत से और बिना विधान के संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100% शेयर के साथ किया जाता है और केंद्र सरकार के संगठनों को प्राप्त प्रस्तावों पर 100% सहायता दी जाती है। समिति योजना के आरंभ किए जाने से लेकर अब तक मंजूर परियोजनाओं की जांच देखकर आश्चर्यचकित है कि कुछ ही राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार दीप समूह, जम्मू और कश्मीर, केरल तथा तमिलनाडु राज्य हैं जहां अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल खंडों, अल्पसंख्यक बहुल जिलों और अल्पसंख्यक बहुत शहरों में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या बहुत कम है। समिति यह देख कर भी आश्चर्यचकित है कि मंत्रालय ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का संपूर्ण विवरण नहीं दिया है जिन्होंने स्वीकृत परियोजनाओं में अपने शेयर नहीं दिए हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा तमिलनाडु राज्य/संघ राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नहीं दिया है। समिति महत्वपूर्ण सूचनाओं के अभाव में निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। समिति जानना चाहती है कि पिछले 2 वर्षों में मंत्रालय ने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े संग्रहित करने के लिए पत्र/अनुस्मारक भेजने/बैठक आदि के लिए क्या प्रयास किए हैं। समिति इस बात पर विश्वास करना चाहती है कि जनवरी, 2022 में योजना के पुनःसंरचना करने में मंत्रालय को कठिन परिश्रम करना होगा और जिससे कि देश में अल्पसंख्यक बहुल वाले सभी जिलों में योजना के कार्य निष्पादन में सुधार होगा। समिति मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेबीके) के तहत सृजित परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग और मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के लिए की गई पहल की सराहना करती है तथा आशा करती है कि इससे स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने तथा प्रस्तावों की रियल टाइम अद्यतन प्राप्त करने में

सहायता मिलेगी। समिति चाहती है कि प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई मंत्रालय की इस पहल को समयबद्ध तरीके से सभी राज्यों में दोहराया जाए, जो फिर इस बात पर निर्भर करेगा कि वे राज्यसरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को नवीनतम तकनीक के बारे में रिपोर्ट करने और इस योजना से लाभ उठाने के लिए उन्हें कैसे राजी करते हैं।

सरकार का उत्तर

पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के अनुमोदन से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त पात्र प्रस्तावों के आधार पर मंजूरी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश राज्य (01 ब्लॉक) और तमिलनाडु (04 ब्लॉक और 18 नगर) को मई, 2018 से योजना की पुनर्संरचना के बाद केवल पीएमजेवीके योजना में शामिल किया गया था। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में केवल 02 ब्लॉक, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के 3 ब्लॉकों को 2021-22 तक लागू पीएमजेवीके योजना के तहत कवर किया गया था। इसलिए इन राज्यों में पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं की संख्या कम है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	परियोजनाएं
हिमाचल प्रदेश	2019 से, पीएमजेवीके के तहत काजा में सीएचसी के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण की 01 परियोजना जिसमें मशीनरी और उपकरण शामिल हैं, 12.77 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई हैं।
तमिलनाडु	2019 से,तमिलनाडु राज्य में पीएमजेवीके के तहत658.44 करोड़ रुपये कीकुल 123 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। परियोजनाओं में 1- अतिरिक्त कक्षा कमरा, 55- आंगनवाड़ी केंद्र, 7- सामान्य सेवा केंद्र, 43- स्वास्थ्य परियोजनाएं, 5- पुस्तकालय, 1- प्रयोगशाला, स्कूल में 2 शौचालय, 5- कौशल केंद्र, 2- मछली सुखाने वाला यार्ड शामिल हैं।
जम्मू-कश्मीर	योजना कीशुरूआत से,जम्मू और कश्मीर राज्य में पीएमजेवीके के तहत 33.89 करोड़ रुपयेकी कुल 368 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परियोजनाओं में 44-अतिरिक्त क्लास रूम (एसीआर), 104- आंगनवाड़ी केंद्र, 132- पेयजल सुविधाएं, 4- स्वास्थ्य परियोजनाएं, 11-छात्रावास, 1- आईटीआई, 1- आईटीआई- उपकरण और मशीनरी, 1- पॉलिटेक्निक, 1- स्कूल भवन, 1- स्टाफ क्वार्टर, 1- स्कूल में शौचालय आदि शामिल हैं।

अंडमान और निकोबार	योजना की शुरूआत से,अंडमान और निकोबार राज्य में पीएमजेवीके के तहत 35.58 करोड़रुपये की कुल 107 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परियोजनाओं में 78- आंगनवाड़ी केंद्र, 1- सामान्य सेवा केंद्र, 1- आईटीआई, 25- शिक्षण सहायता, और 2- कामकाजी महिला छात्रावास आदि शामिल हैं।
केरल	योजना की शुरूआत से,केरल राज्य में पीएमजेवीके के तहत 298.90 करोड़ रुपये की कुल 2179 परियोजनाएंअनुमोदित की गई हैं। परियोजनाओं में 209 -अतिरिक्त कक्षा कमरें (एसीआर), 1807- साइकिलें, 10- सामान्य सेवा केंद्र, 19 - पेयजल सुविधाएं, 42- स्वास्थ्य परियोजनाएं, 1 - छात्रावास, 2- हुनर हब, 2- मार्केट शेड, 1- सद्भाव मंडप 17- शौचालय, 58- स्कूल भवन, 1- सेमिनार हॉल, 3-कौशल केंद्र, 3- स्मार्ट क्लास रूम, 3-कार्यरत महिला छात्रावासशामिल हैं।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कियोजना की शुरुआत के बाद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजेवीके के तहत अनुमोदित सभी परियोजनाओं का विवरण मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा, परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर जारी की जाती है और जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय हिस्से का 100% उपयोग और राज्य के हिस्से का 100% जारी करना और उपयोग करना सुनिश्चित किया जाता है।सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति और संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ परियोजनाओं के लिए समय-समय पर जारी धन के उपयोग की समीक्षा करती है। पिछले दो वर्षों के दौरान अधिकार-प्राप्त समिति की कुल 12 बैठकें और एससी की 12 बैठकें बुलाई गई हैं, जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थीं। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को नियमित रूप से अद्यतन करता रहा है।मंत्रालय ने पीएमजेवीके योजना की बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए कई पहल भी शुरू की हैं। तदनुसार, इस संबंध में राज्यों की एक कार्यशाला 30.05.2022 को आयोजित की गई है और राज्य इस योजना के अधिक प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की नई पहलों को अपनाने के लिए तैयार हैं।योजना की निगरानी के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से डेटा संग्रह/मिलान के लिए मंत्रालय में एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है। ऑनलाइन पीएमजेवीके पोर्टल का उन्नयन किया जा रहा है और यह परिकल्पना की गई है कि केंद्र और राज्यों द्वारा धन जारी करने और परियोजनाओं की स्थिति पर पूरा डेटा पीएमजेवीके पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, पीएमजेवीके संपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से, परियोजना विशिष्ट विशेषताओं और परियोजनाओं के निर्माण/पूरा होने के विभिन्न चरणों की तस्वीरें ली

जाएंगी। संपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप का पायलट पूरा हो चुका है। राज्य के अधिकारियों का प्रशिक्षण भी हो चुका है। ऐप को जून, 2022 में ही सभी राज्यों में रोल आउट कर दिया जाएगा।इसके अलावा, पीएमजेवीके के 2022-23 से कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करने की परिकल्पना की गई है। पीएमजेवीके के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समेकित वार्षिक योजना प्रस्ताव अब केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई समय-सीमा के अनुसार ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगे।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक 24 जून, 2022)

(सिफारिश पैरा संख्या 3.17)

समिति नोट करती है कि ईएफसी/कैबिनेट ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु 9340 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। समिति यह देख कर आयर्यचकित है कि ईएफसी/कैबिनेट के अनुमोदन की तुलना में 2021-22 और 2022-23 के बजटीय आवंटन में 144 करोड़ रुपए की कमी की गई है क्योंकि कैबिनेट द्वारा 2021-22 में अनुमोदित 1400 करोड़ रुपए की तुलना में बजट चरण में 1480 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जिसे बाद में संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 1199.55 करोड़ रुपए कर दिया गया। समिति को इस बात पर बहुत ही विश्वास है कि अग्रवर्ती चरण में आवंटन में कमी करने से बचना चाहिए क्योंकि मंत्रालय द्वारा मांगी गई धनराशि का उनके वास्तविक आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए और कम बजट से योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में उन्हें निश्चित रूप से कठिनाई होगी।इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ठोस डाटा आधारित विश्लेषण से पुष्टि हो और इस आशय का अपेक्षित विश्लेषण होना चाहिए ताकि वित्त मंत्रालय बजटीय प्रस्तावों का अनुमोदन करने से पहले राजी हो सके। समिति चाहती है कि मंत्रालय नीति आयोग की सिफारिश को तत्काल लागू करें क्योंकि उनके द्वारा संस्तुत योजना के बारे में जागरुकता, योजनाओं की निगरानी, क्षेत्र के लोगों की जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण करने हेतु ग्रामसभा/स्थानीय निकायों की भागीदारी आदि सिफारिश से 2022-23 के लिए स्वीकृत धनराशि का इष्टतम उपयोग होने सहित योजना के कार्य निष्पादन में काफी सुधार/वृद्धि हो सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पीएमजेवीके के लिए बजटीय आवंटन 1,390 करोड़ रुपये (बीई) से घटाकर 1,199.55 करोड़ (आरई) रुपये कर दिया गया था। हालांकि योजना के तहत खर्च वित्त वर्ष 2021-22 में निधियों के पुनर्विनियोजन के साथ 1,266.86 करोड़रुपये था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय संशोधित अनुमान से अधिक रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में आरई 1588.86 करोड़ रुपये के मुकाबले खर्च 1698.29 करोड़ रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में आरई971.38 करोड़ रुपए के मुकाबले व्यय 1091.94 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 2021-22 में आरई1199.55 करोड़ रुपए के मुकाबले व्यय 1266.86 करोड़ रुपए था। इसलिए यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएमजेवीके के तहत खर्च आरई से अधिक रहा है।

अतिरिक्त व्यय मंत्रालय की अन्य योजनाओं की बचत से पूरा किया गया। निधियों में कमी योजना के तहत मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किए गए कम खर्च के कारण नहीं है, बल्कि कोविड़ संबंधित प्रतिबंधों के कारण आरई चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा बजटीय आवंटन में समग्र कमी के कारण है।

व्यय वित्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 2022-23 से पीएमजेवीके के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रसारित किया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों में क्षेत्र के बढ़े हुए कवरेज, खेल और स्वच्छता परियोजनाओं को कवर करने के लिए पीएमजेवीके के दायरे को बढ़ाने, परियोजना की जानकारी हासिल करने के लिए डीपीई के लिए मानक टेम्पलेट, जागरूकता सृजन, आधारभूत सर्वेक्षण आदि के संबंध में नीति आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया है। पीएमजेवीके के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना निर्माण पर विस्तृत दिशानिर्देश, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर स्पष्ट दिशानिर्देश और पीएमजेवीके और मीडिया योजना के बारे में जागरूकता पर एक अलग अध्याय संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है। राज्यों को अब पीएमजेवीके के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावित क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए परियोजना योजना के साथ एक जागरूकता सृजन योजना/मीडिया योजना प्रस्तुत करनाअपेक्षित है। प्रस्तावित जागरूकता योजना में ग्राम सभा/स्थानीय निकायों के स्तर पर या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित मासिक या त्रैमासिक जागरूकता शिविरों का आयोजन भी शामिल होगा।

मंत्रालय द्वारा 30.05.2022 को हैदराबाद में एनआरएससी-इसरो के सहयोग से एक कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि राज्य नोडल अधिकारियों/क्षेत्र अधिकारियों को पीएमजेवीके के संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके, पीएमजेवीके संपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप

और यूसी और परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए पीएमजेवीके पोर्टलका उपयोग किया जा सके। कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने और कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भी सुग्राही बनाया गया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक 24 जून, 2022)

(सिफारिश पैरा संख्या 7.13)

समिति नोट करती है कि युवा अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सितंबर, 2013 में शुरू की गई कौशल विकास योजना के लिए 2019-20 में 250.00 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान चरण 2020-21 में 250.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे लेकिन मंत्रालय 2019-20 में केवल 175.52 करोड़ रुपए और 2021-22 में 206.95 करोड़ रुपए खर्च कर सकी। 2020-21 में मंत्रालय 250.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से 190.03 करोड़ रुपए खर्च कर सकी। समिति यह देख कर आश्चर्यचकित है कि मंत्रालय न केवल बजटीय आवंटन का उपयोग करने में असफल रही वरन साथ ही 2019-20 और 2020-21 के लिए नियत लक्ष्य भी प्राप्त करने में असफल रही। समिति यह देख कर भी क्षुब्ध है कि 2021-22 में बजटीय आवंटन 276.00 करोड़ रुपए से घटाकर 2022-23 में 23541 करोड़ रुपए कर दी गई है। समिति ने 2021-22 में संशोधित अनुमान का 100% उपयोग करने का आश्वासन दिया था जो बाद में नहीं हुआ। समिति जानना चाहती है कि क्या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धनराशि जारी करने की प्रक्रिया का कठोरता से अनुपालन नहीं हो रहा है और इस प्रकार इसके परिणाम स्वरूप मंत्रालय बाद के किस्तों को जारी करने में सक्षम नहीं है। समिति यह भी पाती है कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की लंबिता की समीक्षा करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसे उठाए गए कदमों के इच्छित परिणाम नहीं निकला है। इसलिए, समिति पाती है कि मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए कठोर मानक बनाए और यदि आवश्यक हो तो राज्य के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे स्थापित मानकों का अनुपालन कर सके जिससे योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से होगा।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रभाग यह प्रस्तुत करना चाहता है कि वर्ष 2020-21 में योजना के अंतर्गत व्यय 190 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले 100% उपयोग को पार करते हुए190.03 करोड़ रूपये था। वित्त वर्ष 2021-22 में,पीआईए के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित विभिन्न अतिरिक्त पहलों के माध्यम से,योजना पुन:250 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से इस बार 18 करोड़रुपयेअधिकअर्थात107%व्यय तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन के संबंध में,बीई में ईएफसी द्वारा अनुशंसित और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सभी देय प्रतिबद्ध

देयता शामिल नहीं है। इसके बाद,मंत्रालय के अनुरोध पर,व्यय विभाग ने प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए 250 करोड़रुपये के अतिरिक्त बजट पर अपनी अनापत्ति दी है।

प्रभाग योजना की निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिएनियमित रूप से और लगन से कार्यान्वयन एजेंसियों परनजर रख रहा है। कार्यान्वयन एजेंसियों से कहा जाता है कि वे मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूपों में परियोजना के कार्यान्वयन की जानकारी फीड करें। मंत्रालय के अधिकारी क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी भी करते हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) के निरीक्षकों द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है और मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण पूरा होने की संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अनुदान जारी किया जाता है। इसके अलावा, अधिक प्रभावी निगरानी, योजना कार्यान्वयन और शीघ्र निधि संवितरण के लिएवित्त, आईटी, योजनाओं के जमीनी कार्यान्वयन के अच्छे ज्ञान वाले संसाधन व्यक्तियों को परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के माध्यम से लगाया गया है। तथापि, आगे अनुपालन के लिए समिति की टिप्पणियों और सुझावों को विधिवत नोट कर लिया गया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक: 24 जून, 2022)

(सिफारिश पैरा संख्या 8.7)

समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देकर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और गरीब नवाज रोजगार योजना में वर्ष 2022-23 के लिए 00.01 करोड़ रुपए दिए हैं जबकि 2019-20 में 90.00 करोड़ रुपए और 2020-21 में 82.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई। समिति 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन में कमी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है कि एमएईएफ को केंद्र के ब्याज आय से राशि मिलती है और मंत्रालय को एमएईएफ के व्यय को पूरा करने के लिए आंतरिक रूप से निधियों का पुनः विनियोजन करने की शक्ति है। समिति पाती है कि बजटीय सहायता के अभाव में एमएईएफ की योजनाएं

संभवतः प्रभावित होती हैं क्योंकि ब्याज आय का उपयोग करने से एमएईएफ के जमा राशि कम होगी जिसका उपयोग आपात खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि एमएईएफ को 2022-23 के लिए धनराशि दी जाए ताकि वह अपने परिकल्पित भूमिका निभाना जारी रख सके जो वह करता आ रहा है। धनराशि में कमी किए जाने का दूसरा स्पष्टीकरण कि मंत्रालय ने छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति (केंद्रीय) योजना में मिलाने का प्रस्ताव इस चरण में बहुत ही शीघ्र है क्योंकि योजना भविष्य के लिए प्रस्तावित है और इस पर निर्णय लिया जाना है। समिति सराहना करेगी यदि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय से 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने के संबंध में मिले ताकि जिस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है वह पूरी हो सके। समिति नोट करती है कि एमएईएफ को राष्ट्रीय संस्थान और किशनगढ़, राजस्थान में हुनर केंद्र की स्थापना के लिए ईडीसीआईएल द्वारा तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। समिति की इच्छा है कि संस्थान के निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा नियत किया जाए ताकि इसे समयबद्ध तरीके से कार्यशील बनाया जा सके।

सरकार का उत्तर

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एमएईएफ की दो योजनाओं काअनुमोदन किया है,नामत: (i) छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (बी एचएमएनएस),बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को अब एनएसपी पोर्टल पर शामिल कर लिया गया है और इस मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग द्वारा आगे लागू किया जाएगा और (ii)शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए कार्यरत डी.एड/बी.एड कॉलेज की वित्तीय सहायता/विस्तार के लिए सहायता-अनुदानएक छोटी योजना है जिसके लिए व्यय एमएईएफ द्वारा अपने संसाधनों से किया जा सकता है या यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय द्वारा कमी पूरी की जा सकती है।यह प्रस्तुत है कि किशनगढ़ बास, जिला अलवर, राजस्थान में एक राष्ट्रीय संस्थान और एक हुनर हब की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल पर स्थायी चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार और गार्ड रूम के निर्माण का कार्य मैसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस (जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन) को सौंपा गया है। 15 एकड़ भूमि पर स्थायी चारदीवारी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और प्रवेश द्वार और गार्ड रूम के निर्माण का कार्य चल रहा है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।इसके अलावा, परियोजना को जारी रखने हेतु, परियोजना के

लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए मैसर्स एडसिल (इंडिया) लिमिटेड और एमएईएफ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैसर्स एडसिल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें प्रस्तावित संस्थान के रणनीतिक उद्देश्य और योजनाएं (एचआर, अवसंरचना, वित्तीय आदि) शामिल हैं। डीपीआर को अंतिम रूप देने के बाद, जिसमें साइट लेआउट नक्शा और भवनों के संक्षिप्त संरचनात्मक डिजाइन भी शामिल होंगे, एमएईएफ, जीएफआर के अनुसार निर्माण के लिए निविदा और अन्य प्रक्रियाओं को निष्पादित करेगा।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक: 24 जून, 2022)

अध्याय- तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

(सिफारिश पैरा संख्या 3.15)

समिति नोट करती है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती बहु क्षेत्रक विकास कार्यक्रम या एमएसटी) का क्रियान्वयन अभिज्ञात बहुसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना तथा मूलभूत सुविधाएं देने के उद्देश्य किया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और राष्ट्रीय औसत की तुलना में यहां असंतुलन को कम किया जा सके। एमएसडीपी का शुभारंभ 2008 में किया गया, 2013 में इसकी पुनःसंरचना सामाजिक आर्थिक अवसंरचना के विकास के उद्देश्य से की गई और मई, 2018 में इसका नाम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेबीके) किया गया। समिति यह भी पाती है कि जनवरी, 2022 में पुनःसंरचना किए जाने के उपरांत योजना को शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलोन्मुखी परियोजनाओं के साथ खेलकूद, स्वच्छता, सौर ऊर्जा और पर्यटन-सह-कौशल केंद्र के विकास के लिए 117 आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं तो भी इसमें अभी पूर्ण गति नहीं आ पाई है। समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि मंत्रालय 2021-22 के बजटीय आवंटन का व्यय करने में सक्षम नहीं रहा है क्योंकि प्रस्ताव पर अभी भी काम चल रहा है और मंत्रालय 31.12.2021 तक केवल 792.58 करोड़ रुपए जारी किए हैं और 1442.59 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ 2027.62 करोड़ रुपए की परियोजना प्रक्रियाधीन है। समिति उन कारणों को नहीं समझ पा रही है कि 14 वर्षों से चल रही योजना के बावजूद मंत्रालय प्रस्तावों के समय पर अनुमोदन और शीघ्रता से धनराशि जारी करने के लिए उपयुक्त प्रणाली का विकास नहीं कर पाया है। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय बजटीय संशोधित अनुमान से पीछे चल रहा है। समिति अवश्य चाहती है कि निगरानी की प्रौद्योगिकी और बेहतर डेटा विश्लेषण टूल की उपलब्धता के साथ अब मंत्रालय समय सीमा को शामिल करते हुए एक सुदृढ प्रणाली का विकास करें ताकि प्रस्ताव का अनुमोदन और अनुपातिक शेयर दिए गए समय सीमा में जारी किया जा सके।

सरकार का उत्तर

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पीएमजेवीके के लिए बजटीय आवंटन 1,390 करोड़ रुपये (बीई) से घटाकर 1,199.55 करोड़ (आरई)रुपये कर दिया गया था। हालांकि योजना के तहत खर्च वित्त वर्ष 2021-22 में निधियों के पुनर्विनियोजन के साथ 1,266.86 करोड़रुपये था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय संशोधित अनुमान से अधिक रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में 1588.86 करोड़ रुपये की आरई की तुलना में खर्च 1698.29 करोड़ रुपये था, 2020-21 में 971.38 करोड़ रुपये की आरई के मुकाबले में व्यय 1091.94 करोड़ रुपये था और 2021-22 में 1199.55 करोड़ रुपए आरई के मुकाबले में व्यय 1266.86 करोड़ रुपए था। इसलिए यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएमजेवीके के तहत खर्च आरई से अधिक रहा है।

पीएमजेवीके के 2022-23 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसारराज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करने की परिकल्पना की गई है। ऑनलाइन पीएमजेवीके पोर्टल को संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है और 2022-23 से पीएमजेवीके के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समेकित वार्षिक योजना प्रस्ताव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दी गई अनुसूची/समयसीमा के अनुसार केवल ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों पर विचार और अनुमोदन के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अधिकार-प्राप्त समिति की बैठक बुलाने की भी परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, चल रही परियोजनाओं के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए एक अन्य वेब मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। यह परिकल्पित है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उपयोग प्रमाण-पत्र केवल वेब पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे। इससे मंत्रालय द्वारा अनुवर्ती किश्तों को समय पर जारी करने के साथ-साथ लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों की बेहतर निगरानी में सुविधा होगी। मंत्रालय ने सभी पीएमजेवीके संपत्तियों की जियो-टैगिंग और परियोजनाओं के निर्माण/पूरा होने के विभिन्न चरणों की तस्वीरों सहित परियोजना विशिष्ट विशेषताओं को कैप्चर करने के लिए एनआरएससी, इसरो के सहयोग से एक मोबाइल ऐप पीएमजेवीके भुवन भी विकसित किया है। इससे परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी में भी मदद मिलेगी। राज्यों को अपने वार्षिक बजट में

राज्य के हिस्से के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करने की भी सलाह दी गई है ताकि संबंधित राज्य का हिस्सा समय पर जारी किया जा सके।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक 24 जून, 2022)

(सिफारिश पैरा संख्या 7.14)

समिति नोट करती है कि कौशल विकास योजना के अनुसार न्यूनतम 75% प्रशिक्षणार्थी को रोजगार मिलना चाहिए जिसमें से कम से कम 50% को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलना चाहिए। मंत्रालय द्वारा दी गई संख्यात्मक सूचना से पता चलता है कि वर्ष 2017-18 के दौरान 109939 प्रशिक्षण प्राप्त किए गए व्यक्तियों में से 49330 प्रशिक्षणार्थी को रोजगार मिला। इसी तरह, वर्ष 2018-19 के दौरान 79248 प्रशिक्षण प्राप्त किए गए व्यक्तियों में से 21199 प्रशिक्षणार्थी को रोजगार मिला जो प्रशिक्षण प्राप्त किए गए व्यक्तियों का 50% से कम है। बाद में स्थिति और बुरी हो गई क्योंकि कोविड लहर आने के कारण कोई भी प्रशिक्षणार्थी रोजगार प्राप्त नहीं कर सका। इसके साथ ही, समिति नोट करती है कि कुछ राज्यों में स्थिति बुरी है क्योंकि वह न तो किसी को रोजगार प्राप्त कर सका और वहां रोजगार की स्थिति कल्पना से बहुत कम थी। समिति यह भी पाती है कि कुछ राज्यों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की संख्या बहुत कम है जो बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि केवल कुछ ही लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। समिति चाहती है कि मंत्रालय इन सभी पहलुओं का पूरी तरह से जांच करें क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की सूची से तभी इच्छित परिणाम मिल सकेगा। जब तक नियत लक्ष्य को बढ़ाया न जाए और इच्छुक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उचित कदम नहीं उठाया जाए तब तक योजना का उद्देश्य संभवत प्राप्त नहीं होगा। चूंकि योजना को अभी उचित दिशा में कार्य करना है, इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय उपयुक्त उपाय करें ताकि लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके और वे उचित रोजगार प्राप्त कर सकें।

सरकार का उत्तर

प्रभाग समिति को प्रस्तुत करना चाहता है कि प्लेसमेंट रिपोर्ट, प्लेसमेंट के लिए दस्तावेजी प्रमाण के साथ परवर्ती दावा दस्तावेज प्रस्तुत करते समय योजना पोर्टल पर पीआईए द्वारा अपलोड किए गए डेटा पर आधारित है। चूंकि कई पीआईए को अभी अपनी अंतिम किश्तों का

दावा करना बाकी है, हालांकि उन्होंने परियोजनाओं को पूरा कर लिया है और प्लेसमेंट कर लिया है, मंत्रालय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए इन नंबरों का हिसाब नहीं रखता है। इसलिए, रिपोर्ट की गई प्लेसमेंट संख्या फील्ड में वास्तविक प्लेसमेंट से कम है। हालाँकि, कोविड-19 महामारी के कारण प्लेसमेंट में कठिनाई हुई और बहुत से लोगों की नौकरी भी चली गई, लेकिन कोविड के बाद, प्लेसमेंट के आंकड़ों में तेज गति से सुधार हो रहा है। पोर्टल पर प्लेसमेंट डेटा अपलोड करने के लिए प्रभाग लगातार पीआईए के साथ कार्रवाई कर रहा है।

कुछ राज्यों में पीआईए की कम उपस्थिति के संबंध में, प्रभाग यह बताना चाहता है कि अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता को ध्यान में रखते हुएआवंटन किया गया था और पीआईए को अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में आवंटन दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में पीआईए की संख्या कम हो सकती है। तथापि, समिति की सभी टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और तदनुसार उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक: 24 जून, 2022)

अध्याय-चार

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (पैरा 5.12 और 5.13)

समिति नोट करती है कि तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा समूह 'क', 'ख' और 'ग' सेवाओं में भर्ती, आदि के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करने हेतु अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को सहायता देने के उद्देश्य से जुलाई, 2007 में 'नया सवेरा' योजना शुरू की गई थी। तथापि, समिति पाती है कि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान वास्तविक व्यय बहुत कम हुआ क्योंकि वे 75.00 करोड़ रुपए, 50.00 करोड़ रुपए और 79.00 करोड़ रुपए के बजट आवंटन में से तीन वर्षों के दौरान क्रमशः केवल 13.97 करोड़ रुपए, 18.44 करोड़ रुपए और 18.22 करोड़ रुपए व्यय कर सके। समिति मानती है कि योजना के क्रियान्वयन के प्रति विभाग के दृष्टिकोण में गंभीरता प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि बजट आवंटन/लक्ष्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। प्रस्तावों/उपयोग प्रमाण पत्रों के प्रस्तुति में विलंब जैसे योजना के धीमी प्रतिक्रिया के लिए मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात प्रक्रियात्मक चूक मंत्रालय का खराब चित्र प्रस्तुत करता है। समिति यह भी मानती है कि शायद योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत है। चूंकि योजना में संशोधन के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन पोर्टल का विकास, परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना जैसे कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए समिति आशा करती है कि प्रचार संबंधी मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाए ताकि योजना के कार्य निष्पादन में सुधार हो। समिति संशोधित योजना में प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणाम जानना चाहेगी।

(सिफारिश पैरा संख्या 5.13)

समिति पाती है कि प्रतियोगी वातावरण में वजीफा की राशि और कोचिंग की अवधि छात्रों, विशेषकर बड़े शहरों में छात्रों की आज की जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त है। समिति आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहने

वाले अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए 3 से 9 माह की अवधि वाले कोचिंग के प्रावधान के उद्देश्य को समझ पाने में असमर्थ है। इसी तरह, नियत वजीफा की राशि और नियत कोचिंग शुल्क नामी कोचिंग संस्थानों के उच्च कोचिंग दरों के समतुल्य नहीं है। समिति यह नोट कर खुश है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने योजना के मूल्यांकन अध्ययन में वर्तमान शुल्क संरचना और अवधि को संशोधित करने की सिफारिश की है और इसलिए, इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा रहा है तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के अगली सूची से प्रभावी होगा। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के अगली सूची को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों को देखते हुए समिति आशा करती है कि परियोजना कार्यान्वयन में एजेंसियों के सामूहिक चयन में उचित इमानदारी बरती जाएगी और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए निर्धारित मानकों का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा। समिति सिफारिश करती है कि आय संबंधी मानक सहित शुल्क संरचना तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम अवधि के संशोधन के लिए उपयुक्त प्रणाली अपनाई जा सकती है ताकि अधिकतम संख्या में छात्रों को शामिल किया जा सके। छात्रों के लिए प्रस्तावित ऑनलाइन मॉड्यूल जैसे विभिन्न पहलें और कार्यान्वयनकर्ता द्वारा निगरानी प्रणाली का विकास, सरकारी और निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की भागीदारी, सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों को एकमुश्त अनुदान, छात्रों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा, आदि जैसे मूल्यांकन अध्ययन में निहित सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जा सकती है कि इसके योजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव होंगे। समिति चाहती है कि सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के अगली सूची के साथ अनुपालन किया जाए। समिति चाहती है कि मंत्रालय के की गई कार्रवाई टिप्पणी में पिछले तीन वर्षों के लिए योजना के तहत जारी निधि और लाभार्थियों का राज्यवार डाटा के साथ छात्रों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल के विकास करने सहित योजना के कार्यान्वयन की स्थिति से उसे अवगत कराया जाए।

सरकार के उत्तर (पैरा संख्या 5.12 और **5.13)**

यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंत्रालय में प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए वित्त और खरीद**,** आईटी और एमआईएस**,** एम एंड ई विशेषज्ञ**,** सिस्टम विश्लेषक में विशेषज्ञता

रखने वाले छह सलाहकारों का एक पीएमयू भी स्थापित किया गया है। आईआईपीए की अनुशंसा के अनुसार योजना के संशोधन का प्रस्ताव स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, ईएफसी ने प्रधानमंत्री शैक्षिक अधिकारिता योजना (पीएमईईएस) जिसमें पांच घटक है, नामत: मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति,मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) और पढो परदेश के मूल्यांकन के दौरान सिफारिश की है कि शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अन्य शैक्षिक योजनाओं जैसे नि:शुल्क कोचिंग और नई उड़ान को भी एक योजना बनाने के लिए मिला दिया जाए। तद्नुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उनकी समान योजना में किए गए परिवर्तनों और आईआईपीए की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए योजना को और संशोधित किया जा रहा है। आईआईपीए की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, कोचिंग फीस और कोचिंग कार्यक्रमों की अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

हालांकि, योजना को अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

पिछले तीन वर्षों के लिए आवंटित लाभार्थियों/छात्रों की राज्यवार संख्या और पीआईए को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक: 24 जून, 2022)

अनुबंध

वर्ष 2019-20से 2021-22तक नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां							
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22	
		छात्रों की संख्या	जारी निधि (रुपये में)	छात्रों की संख्या	जारी निधि (रुपये में)	छात्रों की संख्या	जारी निधि (रुपये में)

		(आवंटित)		(आवंटित)		(आवंटित)	
1	आंध्र प्रदेश	500	21086216	400	8125000	400	35749309
2	असम	100	1625000	0	0	0	1000000
3	बिहार	100	0	0	0	0	
4	चंडीगढ़	190	2700000	50	0	50	1625000
5	छत्तीसगढ	100	0	100	3225000	100	6500000
6	दिल्ली	50	1625000	0	0	0	
7	गोवा	0	0	0	0	0	
8	गुजरात	600	1625000	200	0	200	6500000
9	हरियाणा	300	5000000	300	5000000	300	16625000
10	जम्मू और कश्मीर	50	0	50	0	50	4875000
11	झारखंड	0	4246000	0	0	0	
12	कर्नाटक	1050	18659920	400	34770000	400	26003702
13	केरल	640	5860000	0	4000000	0	
14	मध्य प्रदेश	780	4552763	300	16997000	500	22098984
15	महाराष्ट्र	940	16625000	50	10000000	500	23250000
16	मणिपुर	140	4585000	50	6015000	100	8527250
17	मेघालय	100	0	100	0	0	5687500

18	पंजाब	300	0	200	0	200	6500000
19	राजस्थान	350	6486165	300	4250000	150	5250000
20	सिक्किम	0	0	0	0	0	
21	तमिलनाडु	200	0	0	0	0	
22	उत्तर प्रदेश	2500	44064327	2300	59517966	1640	116933255
23	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	
24	पश्चिम बंगाल	590	1000000	500	32500000	550	84375000
	कुल	**9580**	**139740391**	**5300**	**184399966**	**5140**	**371500000**

(सिफारिश पैरा संख्या 6.17)

समिति पाती है कि मदरसों/अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) जिसमें दो योजनाएं नामतः मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आई डी एम आई) शामिल है जिसे 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय से लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को दे दिया गया है। समिति यह नोट कर शुब्ध है कि शायद मंत्रालय को अभी जमीनी स्तर पर काम शुरू करना है क्योंकि इसकी अब तक बोर्ड की केवल दो बैठक के हुई है और इसलिए शिक्षा मंत्रालय से योजना को हस्तांतरित किए जाने के बाद से अभी तक मदरसों/अल्पसंख्यक के शिक्षा के लिए योजना के तहत कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ है। समिति पाती है कि योजना का हस्तांतरण किए जाने से पहले मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत 6 राज्यों से प्रस्ताव और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के अंतर्गत 12 राज्यों से प्रस्ताव अनुमोदित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने

की योजना (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत 8 राज्यों से प्रस्ताव और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के अंतर्गत 5 राज्यों से प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं। समिति को बताया गया कि एसपीक्यूईएम के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक 30 नवंबर, 2021 को हुई और आई डी एम आई के अंतर्गत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रस्ताव बोर्ड की बैठक फरवरी, 2022 में हुई। समिति मानती है कि अनुमोदन प्रक्रिया की गति थोड़ी धीमी है और योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें गति लाए जाने की जरूरत है। समिति इस योजना में बड़ी संख्या में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी भी नहीं पाती है। इसलिए समिति चाहती है कि तीव्रता से कार्य किया जाए ताकि योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी हो। अब समिति को बताया गया है कि 2021 में योजना को शिक्षा मंत्रालय से हस्तांतरित कर दिया गया है, इसलिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन संबंधी तंत्र पर ईएफसी नोट तैयार की जाएगी। समिति चाहती है कि मंत्रालय शीघ्रता से प्रक्रिया पूरी करें ताकि विचाराधीन प्रस्तावों के अनुमोदन में असाधारण विलंब न हो। समिति यह भी मानती है कि समग्र शिक्षा के विभिन्न घटक मंत्रालय को उसकी इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि किसी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए योजना की जागरूकता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। समिति आशा करती है कि मूल्यांकन अध्ययनों का उचित संज्ञान लिया जाएगा ताकि संशोधित योजना में कोई खामी न हो। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई और इसके परिणाम से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

मदरसों/अल्पसंख्यकों में शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) को दिनांक 01.04.2021 से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है। योजना को दिनांक 31.03.2021 तक लागू करने की मंजूरी दी गई थी। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2021 के का.ज्ञा. के तहत मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2021-22 (31.03.2022 तक) के लिए मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) को जारी रखने की अनुमति दी थी। व्यय विभाग के

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.12.2021 के द्वारा आईडीएमआई योजना को जारी रखने के लिए अनुमोदन सूचित किया गया था। अत: इस योजना को इस मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एसपीईएमएम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया गया है।मदरसों/अल्पसंख्यकों में शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) में दो उप-योजनाएं शामिल हैं - (i) मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों का बुनियादी ढांचा विकास (आईडीएमआई)। उप योजना एसपीक्यूईएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के फंड शेयरिंग पैटर्न पर कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों/पहाड़ी संघ राज्य क्षेत्रों में फंड शेयरिंग पैटर्न 90:10 है। विधायिका के बिना संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, शेयरिंग पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सेदारी है। यह योजना स्वैच्छिक प्रकृति की है। आईडीएमआई के तहत फंडिंग पैटर्न 75% केंद्रीय हिस्सा और 25% संबंधित संस्थान का है। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य एसपीक्यूईएम के तहत और आईडीएमआई के तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे के लिए अपेक्षित सहायता के लिए एक वार्षिक समेकित प्रस्ताव तैयार करते हैं, जिसकी जांच सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में की जाती है। एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समेकित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पीएबी की बैठक वार्षिक तौर पर आयोजित की जाती है। तदनुसार, एसपीक्यूईएम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावों पर विचार के लिए पीएबी की बैठक दिनांक 30.11.2021 को आयोजित की गई थी। आईडीएमआई के तहत प्रस्तावों पर विचार के लिए पीएबी की बैठक दिनांक 15.03.2022 को आयोजित की गई थी। वर्ष 2021-22 के लिए पीएबी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मदरसों की संख्या	शिक्षकों की संख्या	आईडीएमआई के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों की संख्या
1	बिहार	164	235	
2	छत्तीसगढ़	252	714	
3	जम्मू और कश्मीर	39	115	
4	झारखंड	68	131	

5	मध्य प्रदेश	1209	2826	
6	राजस्थान	1642	3079	
7	त्रिपुरा	126	304	1
8	उत्तर प्रदेश	5818	16193	25
9	उत्तराखंड	183	494	
10	महाराष्ट्र			1
11	मणिपुर			20
12	मिजोरम			13
	कुल	9501	24091	60

योजना के तहत राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 31.03.2022 से आगे योजना को जारी रखने के लिए ईएफसी ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक: 24 जून, 2022)

(सिफारिश पैरा संख्या 6.18)

समिति पाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के क्रियान्वयन के भाग के रूप में क्षमता निर्माण तथा मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों और प्रिंसिपल के प्रशिक्षण के लिए दीक्षा पोर्टल पर एक वेब पेज बनाई गई है। तथापि समिति नोट करती है कि यूडीआईएसई पर मदरसों और शिक्षकों के बारे में संपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि मदरसा विद्यालयों के संबंध में आंकड़े यूडीआईएसई पर 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्ज नहीं की गई है और 10 राज्यों ने केवल 1 से 20 मदरसों के बारे में सूचनाएं दी है। समिति को साक्ष्य के दौरान यह भी बताया गया कि ऐसी भी संभावना है कि सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के आंकड़े संग्रहित नहीं किए गए हैं और कई मदरसे हैं जिन्हें यूडीआईएसई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया गया है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों तथा उनकी अवसंरचना, शिक्षकों और छात्रों के बारे में

सूचनाएं तीन महीने में संग्रहित करने का निर्देश जारी करें ताकि सभी मदरसों को योजना के तहत उपलब्ध सुविधाएं मिल सके। समिति का मत है कि जब तक मंत्रालय मदरसों के बारे में संपूर्ण सूचना तैयार नहीं करेगी तब तक उसे मदरसों में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने में कठिनाई होगी और इसके परिणाम स्वरूप योजना की वित्त संबंधी आवश्यकता का उचित मूल्यांकन प्रभावित होगा एवं योजना के लाभ से छात्र/शिक्षक वंचित होंगे।

सरकार का उत्तर

यूडीआईएसई + (2019-20) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यूडीआईएसई +पर 26,928 मदरसे पंजीकृत हैं और इन मदरसा स्कूलों में लगभग 1.17 लाख शिक्षकों के साथ छात्रों का नामांकन 43.52 लाख से अधिक है। देश भर के मदरसा स्कूलों का अधिक व्यापक डेटा रखने के लिए, मंत्रालय ने मदरसा स्कूलों के लिए एक एमआईएस पोर्टल विकसित करने के लिए एक एजेंसी को नियोजित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाएगा कि वे उक्त पोर्टल पर मदरसा स्कूलों के बारे में जानकारी अपलोड करें और पोर्टल मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसा स्कूलों की जानकारी एकत्रित करेगा। यह परिकल्पना की गई है कि एक बार इस पोर्टल द्वारा कार्य करना शुरू करने पर,पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़े सूचित नीति निर्माण के साथ-साथ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करेंगे"।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक: 24 जून, 2022)

अध्याय-पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

सिफारिश(पैरा संख्या 4.15)

समिति पाती है कि 2019-20, 2020-21 और 2022-23 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सभी तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामत: मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्चात और मेधा-सह-साधन योजना के तहत किए गए बजट आवंटन/व्यय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत 2019-20 और 2020-21 में वास्तविक व्यय क्रमशः 1,324.85 करोड़ रुपए और 1,325.54 करोड़ रुपए था। इसी तरह, मैट्रिक पश्चात छात्रवृति योजना के तहत 2019-20 और 2020-21 में वास्तविक व्यय क्रमश: 428.77 करोड़ रुपए और 512.81 करोड़ रुपए था जबकि मेधा-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के तहत 2019-20 और 2020-21 में वास्तविक व्यय 285.63 करोड़ रुपए और 396.34 करोड़ रुपए था। समिति यह देख कर क्षुब्ध है कि सभी तीनों योजनाओं के तहत 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है और प्रत्येक तीनों योजनाओं के तहत नियत लक्ष्य भी वही रहे हैं। दिए गए बजटीय आवंटन/व्यय से समिति यह दृढ मत बनाती है कि योजनाओं के कार्य निष्पादन में और सुधार किए जाने की जरूरत है क्योंकि लाभार्थियों की संख्या नहीं बढ़ी है और इसके विपरीत मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजनाओं में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में उनकी संख्या कम हुई है। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय अल्पसंख्यक जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए लक्ष्य नियत करें ताकि छात्रों की कवरेज को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, समिति इस बात को पुरजोर ढंग से दोहराती है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखकर यथाशीघ्र आय मानदंड को संशोधित किया जाए क्योंकि नियत आय सीमा से कई विद्यार्थी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

सरकार का उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग अवधि के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को जारी रखने के लिए अनुमोदन की मांग करते हुए लक्ष्यों में वृद्धि के साथ-साथ आय सीमाओं में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था और तदनुसार,व्यय वित्त समिति (ईएफसी) एक नोट प्रस्तुत किया था। हालांकि, इस बीच, केंद्र सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जांच के लिए मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह का गठन किया गया जिसने निर्देश दिया कि उन सभी छात्रवृत्तियों के लिए जिनमें सरकार भागीदारी ले रही है, एक समान पात्रता, एक समान हकदारी, एक समान पोर्टल, एक समान तिथि और एक समान समय-सीमा होनी चाहिए। इसने यह भी निर्णय लिया

कि छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करने वाले विभागों के सचिव उपर्युक्त निर्देश के परिचालन के लिए एक प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके बाद, सचिवों के समूह की कई बैठकें आयोजित की गईं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वार्षिक पारिवारिक आय के संदर्भ में दरों और पात्रता के बारे में किए गए अंतिम प्रस्तुतीकरण के आधार पर 15वें वित्त आयोग अवधि के अंत तक योजनाओं को जारी रखने के लिए संशोधित ईएफसी नोट प्रस्तुत किया जा रहा है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक: 24 जून, 2022)

(सिफारिश (पैरा संख्या 4.16)

समिति मंत्रालय के साक्ष्य निराश है कि वर्ष की अंतिम तिमाही में निधियों का वितरण योजनाओं के कार्यान्वयन के उनकी अंतर्निहित संरचना के कारण है। समिति को इस बात का बहुत ही विश्वास है कि ठोस प्रयासों से इस प्रवृत्ति को बदला जा सकता है क्योंकि छात्रवृत्ति उसी शैक्षणिक वर्ष में दी जानी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि के वितरण में विलंब होने से अल्पसंख्यक छात्रों का भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अधिकांश छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं। इसलिए समिति मानती है कि मंत्रालय को प्रक्रिया के संशोधन पर चर्चा, विशेषज्ञ की राय और नवीन विचार करने की तत्काल जरूरत है क्योंकि पंजीकरण/सत्यापन में लगने वाला समय बहुत ही ज्यादा है और इसे कम किए जाने की जरूरत है। पूर्व में समिति ने सुझाव दिया था कि छात्रवृत्ति योजनाओं पर विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनो में निहित सिफारिशें योजनाओं के कार्य निष्पादन को बहुत हद तक सुधार सकती है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। समिति चाहती है कि मंत्रालय इन सिफारिशों की तत्काल जांच करें और योजनाओं के नए दिशानिर्देशों में उन्हें उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, साध्य के दौरान समिति को बताया गया की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के मामलों की जांच रिपोर्ट असम, झारखंड और बिहार राज्य से अभी प्राप्त होना है। समिति चाहती है कि इन राज्य सरकारों को जांच प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए

जाए। समिति इसके निष्कर्षो और मंत्रालय द्वारा उन पर की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार - किसी शैक्षणिक वर्ष में किसी कक्षा विशेष में अध्ययनरत लाभार्थी को उसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उक्त कक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तदनुसार इन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभअंतरण (डीबीटी) मोड के तहत सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। जो छात्रवृत्तियां किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान भुगतान की विफलता, बैंक सत्यापन में देरी या भुगतान फाइलों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने में राज्यों द्वारा देरी जैसे तकनीकी कारणों से भुगतान किए बिना रह जाती है उन्हें राज्यों द्वारा भुगतान फाइलों में सुधार/हस्ताक्षर के बाद अगले शैक्षणिक वर्ष में लाभार्थी के खातों में जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा, जैसा कि पैरा 4.15 में निहित अनुशंसा के उत्तर में कहा गया है- मंत्रियों के समूह के निर्देशों में से एक यह है कि जहां सरकार भाग ले रही है वहांसभी छात्रवृत्तियों के लिए एक समान तिथि और एक समान समय-सीमा होनी चाहिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयने इस संबंध में सचिवों के समूह को अपना इनपुट प्रदान किया है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2021-22 में नवीकरण भुगतान की शुरुआत नवंबर 2021 में ही हो गई थी।असम, बिहार और झारखंड राज्यों के संबंध में कथित धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच की स्थिति इस प्रकार है:

असम राज्य की रिपोर्ट: सीआईडी के द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है। उनके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त डेटा/सूचना, समय-समय पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही है। इससे पहले, असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड ने डीएनओ, शिवसागर से केंद्रीय विद्यालय, ओ.एन.जी.सी., नजीरा के फर्जी छात्रों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में समाचार पत्र में रिपोर्ट किए गए घटनाक्रम के अनुसार एक रिपोर्ट अग्रेषित की थी। रिपोर्ट की जांच की गई है और यह पाया गया है कि के.वी. ओ.एन.जी.सी. ने पुष्टि की है कि वित्त वर्ष 2019-20 में स्कूल से किसी भी छात्र का सत्यापन नहीं किया गया है, इस मुद्दे पर सीआईडी द्वारा कुछ और डेटा मांगा गया था और जो उन्हें दे दिया गया है।

इस बीच, राज्य ने सूचित किया है कि सीआईडी पुलिस, असम ने धारा 120(बी)/406/409/419/420/468/471 आईपीसी, आर/डब्ल्यू धारा 66सी/66डी आईटी अधिनियम, 2000 के तहत 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उनके खिलाफ आरोप

पत्र प्रस्तुत किया गया था। उन्हें दिनांक 9.11.2020 से 5.01.2021 के बीच गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, पुलिस ने 13.02.2021 से 16.09.2021 के बीच 10 लोगों के एक अन्य समूह को भी गिरफ्तार किया था। यह सूचित किया गया है कि आवेदकों ने स्वयं को बिहार के विभिन्न जिलों का अधिवासी दिखाया है।

बिहार राज्य की रिपोर्ट: राज्य ने 9 संबंधित जिलों के मजिस्ट्रेट को कथित मामलों की पूछताछ और जांच करने का निर्देश दिया गया है। गया और सहरसा जिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि, इस मामले में अंतरिम/अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

झारखंड राज्य की रिपोर्ट: राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मामला राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंप दिया गया है। हालांकि उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच, राज्य नोडल अधिकारी के कार्यालय में जिला एवं खंड स्तर पर कुछ अधिकारियों, धनबाद, लातेहार और गढ़वा जिलों में कंप्यूटर ऑपरेटरों को निलंबित/बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले में राज्य से अंतरिम/अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक 24 जून, 2022)

सिफारिश (पैरा संख्या 7.15)

समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि कौशल विकास योजना को नई योजना के घटक नामतः प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। समिति पाती है कि नई योजना में मंत्रालय के दो और मौजूदा योजनाओं अर्थात परंपरागत कौशल (उस्ताद) और घटकों के मध्य निधियों की अंतर वहनीयता की संभावना सहित नेतृत्व सह महिला सशक्तिकरण को शामिल किया गया है। तथापि समिति घटकों के मध्य निधियों के अंतर वहनीयता के प्रावधान से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनका मत है कि अपने कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक घटक के अंतर्गत कम से कम नाममात्रिक आवंटन किया जाना चाहिए अन्यथा इनमें से कुछ योजनाएं प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम में कुछ बड़ी योजनाओं से निष्प्रभावी हो जाएंगी। समिति का मत है कि प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन ने कुछ पथ प्रदर्शक सिफारिशें दी है और इसलिए इनकी जांच और योजना के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए इसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि नई योजना का सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए ताकि योजना का कोई घटक निष्प्रभावी न हो और इस प्रकार योजना के लाभार्थी वंचित ना हो।

सरकार का उत्तर

विभाग यह प्रस्तुत करना चाहता है कि व्यय विभाग (डीओई) की सलाह पर मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम के तहत मंत्रालय की पांच योजनाओं को घटकों में मिला दिया है,जिसे अब पीएम विकास (प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन) नाम दिया गया है। योजना के तहत व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा घटकवार आवंटन किया गया है जिसे मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है। किसी भी घटक को बड़े घटक से प्रभावित होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर योजना के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों को ध्यान में रखा है और नई योजना पीएम विकास तैयार करते समय उन्हें शामिल किया है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. जी-20014/1/2022/बजट दिनांक: 24 जून, 2022)

नई दिल्ली;
09 दिसंबर , 2022
18 अग्रहायण , 1944 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति।

अनुबंध

'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

		कुल	प्रतिशत
I.	सिफारिशों की कुल संख्या	15	
II.	सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है:- सिफारिश पैरा संख्या**2.7, 2.8, 3.16, 3.17, 7.13 और 8.7**	06	40%
III.	सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती: - सिफारिश पैरा संख्या **3.15 और 7.14**	02	13.34%
IV.	सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: - सिफारिश पैरा संख्या **5.12, 5.13, 6.17 और 6.18**	04	26.66%
V.	सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं: - सिफारिश पैरा संख्या **4.15, 4.16 और 7.15**	03	20%
			100%